फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गंगाबाई **विपक्षी : श्री धर्मराज**

किस्म मुकदमा – 88,188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 62/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.10.2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादीयां व प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश कर आपसी राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रकरण में वादीयां एवं प्रतिवादीगण द्वारा लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा कर ''परिशिष्ट क में अंकित आराजी नम्बर 3031, 3032, 3033, 3039 से 3042, 3049, 3051 से 3053, 3059, 3060, 3062, 3317 से 3320 कुल किता 18 रकबा 6.2725 हेक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा वादीयां को व 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को तथा परिशिष्ट ख में अंकित आराजी नम्बर 3038, 3046, 3054 से 3056, 3061, 3063, 3064, 3325, 3327 कुल किता 11 रकबा 3.9659 हेक्टेयर भूमि में 1/6 हिस्सा वादीयां को एवं 2/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को खातेदार घोषित कराये जाने'' बाबत् राजीनामा पेश कर डिक्री पारित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल पुरूष लाला हुए, लाला के तीन वारिस हरजी, माना व अमरा हुए। अमरा लाऔलाद फौत हो चुका हैं, जिसके निकटतम वारिस वादीयां व प्रतिवादी सं. 1 से 4 होना बताया हैं। हरजी के वारिस वादीयां एवं माना के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 4 बताया हैं। प्रकरण में पैतृक भूमि की घोषणा हेतु वादीयां द्वारा वाद पेश किया, जिसमें उभय पक्ष आपसी राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री कराने हेतु सहमत हैं। अतः उभय पक्षकारान आपसी राजीनामा अनुसार सहमत होने से वादीयां का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 3031, 3032, 3033, 3039 से 3042, 3049, 3051 से 3053, 3059, 3060, 3062, 3317 से 3320 कुल किता 18 रकबा 6.2725 हेक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा वादीयां को व 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को तथा आराजी नम्बर 3038, 3046, 3054 से 3056, 3061, 3063, 3064, 3325, 3327 कुल किता 11 रकबा 3.9659 हेक्टेयर भूमि में 1/6 हिस्सा वादीयां को एवं 2/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified (मनीष I.A.S.) Digitally signed by Mayank Manish Date: 2021.11.03 16:16:17 IST Reason: SelfAttested (SDO)मावली	

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती गंगाबाई पिता हरजी पत्नी नारूलाल डांगी निवासी नउवा तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. श्री धर्मराज पिता माना डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
2. श्री चेनराम पिता माना डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
3. श्री लोगर पिता माना डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
4. श्री रामलाल पिता माना डांगी निवासी विजनवास तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 62/21 (वाद) GCMS No. – 2021/119

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा विजनवास पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 3031, 3032, 3033, 3039 से 3042, 3049, 3051 से 3053, 3059, 3060, 3062, 3317 से 3320 कुल किता 18 रकबा 6.2725 हेक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा वादीयां को व 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को तथा आराजी नम्बर 3038, 3046, 3054 से 3056, 3061, 3063, 3064, 3325, 3327 कुल किता 11 रकबा 3.9659 हेक्टेयर भूमि में 1/6 हिस्सा वादीयां को एवं 2/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.10.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.03 16:46:17 IST
Reason: SelfAttested